FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

रिछपाल बनाम कैलाश वगै0

किस्म मुकदमा – दावा अधा 53, 188 आर टी एक्ट | मुकदमा नम्बर 110/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.09.2024	वादी की ओर से श्री सरदार सिंह चौधरी एड0 ने स्वयं उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे / स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 10.10.2024 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
10-10-24	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14-11-24 को पेश हो।	
04.11.2024	वकील वादी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 14.11.2024 से पूर्व तलब होने पर आज पेश हुई। वकील [illegible] पक्षकारान् ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में पक्षकारान [illegible] मध्य आपस में राजीनामा हो जाने [illegible] नहीं चलाकर वाद पत्र को इसी स्तर पर विड्रा कर [illegible] किये जाने का निवेदन किया। उपस्थित पक्षकार के पत्र [illegible] की आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गयें। अतः वकील वादी के निवेदन पर उक्त वाद पत्र को इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.11.29 18:21:10 IST
Reason: SelfAttested